न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन

मु. न. 171/2013

सरकार जरिये
तहसीलदार बनाम गया प्रसाद

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 31.1.14

इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार हिण्डौन ने एक प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया कि ख० नं० 6506 जो नगरपालिका की खातेदारी मे है इस पर वाणिज्यक प्रयोजनार्थ दुकानो का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण भू-माफियाओ के द्वारा भी करवाया जाना सम्भव है। अतः उक्त निर्माण पर स्थगन जरूरी है। उपरोक्त प्रा० पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 18.12.13 पेश की गई जिसमे यह उल्लेख किया गया है कि पूर्व में भी उक्त आराजी मे निर्माण होने पर तत्कालीन उपजिला कलेक्टर हिण्डौन द्वारा तोड दिया गया था। उक्त आराजी कि पूर्व दिशा मे न्यायालय परिसर संचालित है। मौके पर गया प्रसाद पुत्र श्री सिनुआ राम निवासी ज्योति नगर हिण्डौन द्वारा किया जा रहा है। उक्त रिपोर्ट पटवारी तहसीलदार हिण्डौन के पत्र क्रमांक RA/1077/19.12.13 द्वारा इस न्यायालय को अग्रेषित की गई है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी हाल पेश किये गये। इस पर प्रकरण 212 RT Act के तहत दर्ज कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। जिसके साथ नगरपालिका द्वारा जारी पट्टा, नक्शा एवं पट्टा रजिस्टर्ड कराने बाबत पत्र की छाया प्रतियां पेश की गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा की उन्होने गत तारीख पेशी पर विवादित भूमि मे निर्माण कार्य जारी होने के कारण भूमि की पैमाईश कराने की प्रार्थना की थी। अब मौके पर निर्माण कार्य नहीं है। अतः विवादित भूमि की ~~कोई~~ पैमाईश की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी बहस सुनकर स्टे कन्फर्म कर दिया जावे। हमने उभयपक्ष को बहस पर

उप जिला कलेक्टर
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner